2017 का विधेयक सं. 37

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भू-स्वामी" के स्थान पर, "भू-स्वामी और उनके पति या पत्नी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "परन्तु जहां कोई भू-स्वामी जल उपयोक्ता क्षेत्र के एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्रों में भूमि धारण करता हो वहां वह और उसका पति या पत्नी प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचन में केवल एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से भाग लेने का पात्र होगा या होगी, जिसका वह ऐसी रीति से विकल्प दे, जो विहित की जाये:

परन्तु यह और कि यदि प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा जल उपयोक्ता संगम के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।"।

4. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि वितरण क्षेत्र में जल उपयोक्ता संगमों में से किसी भी संगम के अध्यक्ष के रूप में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो वितरण समिति का साधारण निकाय वितरण क्षेत्र में जल उपयोक्ता संगमों के सदस्यों में से किसी महिला को इसके सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा।"।

5. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में, विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) यदि किसी वितरण समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो वितरण समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा वितरण समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।"।

6. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया

जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि परियोजना क्षेत्र में वितरण समितियों में से किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो परियोजना समिति का साधारण निकाय परियोजना क्षेत्र में वितरण समितियों के सदस्यों में से किसी महिला को इसके सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा।"।

7. 2000 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 में, विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) यदि किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो परियोजना समिति के साधारण निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परियोजना प्रबंध और सिंचाई परियोजनाओं में जल के दक्षतापूर्ण उपयोग में कृषकों की सहभागिता में वृद्धि के लिए, वर्ष 2000 में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, परियोजना क्षेत्र में केवल भू-स्वामी ही जल उपयोक्ता संगमों के सदस्य हैं और जल उपयोक्ता संगमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव किया है।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 में प्रस्तावित संशोधन, भू-स्वामियों और उनके पति या पत्नी को जल उपयोक्ता संगमों में सदस्य बनाये जाने को सुकर बनायेंगे। प्रत्येक स्तर पर, यदि कोई महिला कृषक संगठन की समितियों (जल उपयोक्ता समिति, वितरण समिति और परियोजना समिति) में निर्वाचित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में किसी महिला को सहयोजित किया जायेगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. रामप्रताप,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

4. जल उपयोक्ता संगम का गठन.- (1) XX XX XX (2) प्रत्येक जल उपयोक्ता संगम में ऐसे सभी जल उपयोक्ता सदस्य होंगे जो ऐसे जल उपयोक्ता क्षेत्र में भू-स्वामी हैं।

(3) XX XX XX XX XX

5. जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन.- (1) से (2) XX XX XX XX (3) परियोजना प्राधिकारी किसी जल उपयोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से ऐसी रीति से करवाये जाने के भी इंतजाम करेगा, जो विहित की जाये:

परन्तु जहां कोई भू-स्वामी जल उपयोक्ता क्षेत्र के एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्रों में भूमि धारण करता हो वहां वह प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचन में केवल एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से भाग लेने का पात्र होगा जिसका वह ऐसी रीति से विकल्प दे, जो विहित की जाये।

(4) से (6) XX XX XX XX XX

6. वितरण क्षेत्र का अंकन और वितरण समिति का गठन. (1) से (2) XX XX XX

(3) परियोजना प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पदधारियों सहित वितरण क्षेत्र में के जल उपयोक्ता संगमों के सभी अध्यक्ष, जब तक वे धारा 5 की उप-धारा (5) के आधार पर ऐसा पद धारण करें, वितरण समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगे।

XX XX XX XX XX XX

8. परियोजना क्षेत्र का अंकन और परियोजना समिति का गठन.- (1) से (2) XX XX

(3) परियोजना क्षेत्र में की वितरण समितियों के सभी अध्यक्ष, जब तक वे धारा 7 की उप-धारा (4) के आधार पर ऐसा पद धारण करें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगे।

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 37 of 2017

THE RAJASTHAN FARMERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEMS (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 21 of 2000.- In sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000 (Act No. 21 of 2000), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "land owners", the expression "land owners and their spouses" shall be substituted.

3. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 21 of 2000.– For the existing proviso of sub-section (3) of section 5 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

> "Provided that where a land owner holds land in more than one territorial constituencies of the water users' area, he or she and his or her spouse shall be eligible to take part in election for membership of the Managing Committee only from one territorial constituency for which he or she opts in the manner as may be prescribed:
>
> Provided further that if a woman is not elected to the Managing Committee, a woman from amongst the members of the Water Users' Association shall be co-opted as a member by the President and the Members of the Managing Committee.".

4. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 21 of 2000.- In sub-section (3) of section 6 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if a woman is not elected as the President of any of the Water Users' Associations in the distributary area, the General Body of the Distributary Committee shall co-opt a woman from amongst the members of the Water Users' Associations in the distributary area, as its member.".

5. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 21 of 2000.- In section 7 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:-

"(3A) If a woman is not elected to the Managing Committee of a Distributary Committee, a woman from amongst the members of the General Body of the Distributary Committee shall be co-opted as a member by the President and the Members of the Managing Committee of the Distributary Committee.".

6. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 21 of 2000.- In sub-section (3) of section 8 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (3), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that if a woman is not elected as the President of any of the Distributary Committees in the project area, the General Body of the Project Committee shall co-opt a woman from amongst the members of the Distributary Committees in the project area as its member.".

7. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 21 of 2000.- In section 9 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:-

"(3A) If a woman is not elected to the Managing Committee of a Project Committee, a woman from amongst the members of the General Body of the Project Committee shall be co-opted as a member by the Chairperson and the members of the General Body of the Project Committee.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For increasing the farmers' participation in the project management and efficient use of water in irrigation projects, the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act was enacted in the year 2000.

As per the existing provisions of the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000, only land owners in the project area are the members of the Water Users Associations and representation of women in Water Users Associations is very low.

In order to enhance women participation in management of irrigation systems, the State Government has proposed to amend sections 4, 5, 6, 7, 8 and 9 of the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000.

The proposed amendments in the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000 would facilitate the land owners and their spouses to be members of Water Users Associations. At every level, if a woman is not elected in the Committees of Farmers' Organisation (Water Users Association, Distributary Committee and Project Committee) a woman shall be co-opted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

डॉ. रामप्रताप,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FARMERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEMS ACT, 2000

(ACT No. 21 of 2000)

XX XX XX XX XX XX

4. Constitution of Water Users' Association.- (1) xx xx

(2) Every Water Users' Association shall consist of all the water users who are land owners in such water users' area as members.

(3) xx xx xx xx xx

5. Managing Committee of Water Users' Association and election of its President and Members.- (1) to (2) xx xx

(3) The Project Authority shall also cause arrangements for the election of a Managing Committee consisting of one Member from each of the territorial constituencies of a water users' area, by the method of secret ballot in the manner as may be prescribed:

Provided that where a land owner holds land in more than one territorial constituencies of the water users' area, he shall be eligible to take part in election for membership of the Managing Committee only from one territorial constituency for which he opts in the manner as may be prescribed.

(4) to (6) xx xx xx xx xx xx

6. Delineation of Distributary area and constitution of the Distributary Committee.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) All the Presidents of the Water Users' Associations in the distributary area, so long as they hold such office by virtue of sub-section (5) of section 5, shall constitute the General Body of the Distributary Committee including two officials nominated by the Project Authority.

XX XX XX XX XX XX

8. Delineation of Project area and constitution of Project Committee.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) All the Presidents of the Distributary Committees in the project area, so long as they hold such office by virtue of sub-section (4) of section 7, shall constitute the General Body of the Project Committee.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं. 37

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(डॉ. रामप्रताप, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 37 of 2017

THE RAJASTHAN FARMERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEMS (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Farmers' Participation in Management of Irrigation Systems Act, 2000.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Dr. Rampratap, **Minister-Incharge**)